| आदेश की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

आर0ई0 वाद सं0– 27/2012–13

गोराचन्द मिर्धा वगै0

बनाम

प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय, कोटालपोखर वगै0

आदेश

11.2.19

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने से प्रतीत होता है कि विपक्षी के द्वारा अवैध दखल की गई जमीन से आवेदक विपक्षी को उच्छेद कराना चाहते हैं। आवेदक के आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा की मांग की गयी एवं आवेदन में अंकित बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, बरहरवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

| मौजा | ज0नं0 | रकवा |
|---|---|---|
| बड़ा सोनाकर | 76 | 30 बीघा 14 कट्ठा 02 धूर |

आज आवेदक अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से वकालतन हाजरी है। आवेदक विगत दिनांक 31.07.2014 से अनुपस्थित। आवेदक को पाँच बार नोटिस निर्गत करने एवं निबंधित डाक द्वारा नोटिस भेजने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं, फलस्वरूप विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि आवेदक के आवेदन पत्र के कंडिका 9 में यह उल्लेख किये है कि कार्यवाही वाली जमीन अहस्तांतरणीय है, जबकि उक्त जमीन हस्तांतरणीय है। वर्णित जमीन जमाबंदी रैयत के वारिसान खोखा तुरी एक निबंधित केवाला के द्वारा दिनांक 02 जनवरी 1962 को दाग नं0 154, 157, 159, 172, 207, 239, 241, 276, 307, 237/452, 238, 240, 268, 331 एवं 288/446 कुल रकवा 30 बीघा 14 कट्ठा 02 धूर जमीन सचिव, उच्च विद्यालय, कोटालपोखर के नाम बिक्री कर हस्तांतरित की है तथा आवेदक का बड़ा भाई गोपाल तुरी भी दिनांक 20.01.1962 को एक निबंधित नादाबी पत्र कर खोखा तुरी द्वारा की गई बिक्री को उचित ठहराया है। बिक्री केवाला के पश्चात उक्त निबंधित जमीन उच्च विद्यालय, कोटालपोखर के पक्ष में दाखिल–खारिज भी किया जा चुका है, जिसका लगान भी उच्च विद्यालय, कोटालपोखर के द्वारा सरकार को देता है। उक्त निबंधित जमीन का जिला शिक्षा विभाग, साहेबगंज के निर्देशानुसार डाक पर बटाईदारों को दी जाती है एवं आवश्यक रकम स्कूल के हक में जमा होता है, जो सार्वजनिक हित में है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक द्वारा दाखिल वाद में कार्यवाही वाली जमीन का दाग नं0 का उल्लेख नहीं है तथा कौन–कौन विपक्षी किस–किस दाग के कितने जमीन का दखलकार है, उल्लेख नहीं है, जिसके कारण कार्यवाही वाली जमीन अस्पष्ट है। जिसपर समुचित निर्णय नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप वाद को निरस्त करने योग्य है।

अतः विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किये हैं।

आवेदक ने अपने मूल आवेदन में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सूचित

Scanned with CamScanner

किये है कि बरहरवा अंचल अंतर्गत मौजा बड़ा सोनाकर के जमाबंदी नं0 76 का कुल रकबा 30 बीघा 14 कट्ठा 02 धूर जमीन बुधन मिर्धा के नाम से गैंजर सर्वे खतियान में दर्ज है। खतियानी रैयत बुधन मिर्धा के तीन पुत्र में से जेष्ट पुत्र गोपाल मिर्धा की नावल्द मृत्यू हो गई। जिसमें आवेदक गोराचन्द मिर्धा एवं चैतन मिर्धा उक्त प्रश्नगत जमीन जमाबंदी नं0 76 के बैध उत्तराधिकारी है। वर्तमान सर्वे सेटलमेंट में वर्णित जमीन गोपाल मिर्धा, गोराचन्द मिर्धा एवं चैतन मिर्धा के नाम से है। उक्त वर्णित जमीन का लगान आवेदक के द्वारा ही किया जा रहा है। विपक्षीगण पैसे वाले दबंग लोग होने के कारण उक्त जमीन अहस्तांतरणीय होने के बावजूद कुछ अपराधी किस्म के व्यक्ति के सहयोग से अवैध रूप से जबरदस्ती दखल कर लिये हैं। आवेदकगण के द्वारा वर्णित जमीन को अपने कब्जा में करने की कोशिश किये जाने पर विपक्षीगण के द्वारा खतरनाक परिणाम की धमकी देते हैं।

अतः आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ताओं ने उक्त वर्णित जमीन से विपक्षीगण को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत् उच्छेद करने का अनुरोध किये हैं।

अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने पत्रांक 110/रा0, दिनांक 28.01.2018 के द्वारा उक्त विवादित जमीन से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा बड़ा सोनाकर, थाना नं0 225 का खतियान के अनुसार विवादित भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

| खतियानी रैयत का नाम एवं पिता का नाम | खाता सं0 | दाग सं0 | रकवा |
|---|---|---|---|
| बुधन मिर्धा, पिता– सिवचरन मिर्धा, ग्राम– विजयपुर | 76 | 154 | 00–11–10 |
| | | 157 | 03–09–11 |
| | | 159 | 02–17–09 |
| | | 175 | 02–15–01 |
| | | 296 | 02–01–13 |
| | | 453 | 14–01–10 |
| | | 238 | 00–12–14 |
| | | 240 | 01–04–16 |
| | | 268 | 00–07–17 |
| | | 331 | 01–19–19 |
| | | 288/446 | 00–12–02 |
| कुल रकवा | | | 30–14–02 |

मौजा बड़ा सोनाकर, थाना नं0 225 का पंजी II के अनुसार जमाबंदी रैयत चकरान, पिता– बुधन मिर्धा, जमाबंदी नं0 76, रकवा 30 बीघा 14 कट्ठा 02 धूर है।

पंजी II के अवलोकन करने पर पाया गया कि मौजा बड़ा सोनाकर, थाना– नं0 225 के अंतर्गत पंजी II में जमाबंदी रैयत चकरान, पिता– बुधन मिर्धा दर्ज है, परन्तु एक भी लगान रसीद पंजी II के सृजन काल से भुगतेय नहीं है। लेकिन उक्त जमाबंदी नं0 76 का पंजी II में रकवा 21 बीघा 10 कट्ठा 12 धूर जमीन जमाबंदी रैयत सचिव, उच्च विद्यालय, कोटालपोखर के नाम से दर्ज है। लगान रसीद सचिव, उ0वि0, कोटालपोखर का वित्तीय वर्ष 2011–12 तक अद्यतनहै। स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त जमाबंदी व दाग की जमीन रकवा 21 बीघा 10 कट्ठा 12 धूर पर उच्च विद्यालय, कोटालपोखर के दखल भोग में है।

आवेदक की ओर से अपने मूल आवेदन के साथ सिर्फ जमाबंदी नं0 76 के खतियान की प्रति एवं उसका हिन्दी अनुवाद सहित दाखिल किये हैं।

विपक्षीगण की ओर से अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज दाखिल किये

Scanned with CamScanner

है:–

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय, कोटालपोखर को कृषि योग्य भूमि के डाक हेतु तिथि निर्धारित करने के संबंधित में पत्रांक 824, दिनांक 31.05.2016 की छाया प्रति।
2. दिनांक 08.06.2016 को डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों का प्रस्ताव की छाया प्रति।
3. प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय, कोटालपोखर के द्वारा श्री रामवृक्ष साहा, पिता गंगाधर साहा को तीन वर्ष के लिए कृषि हेतु जमा की गई राशि की छाया प्रति।
4. प्रभारी प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय, कोटालपोखर के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज के नाम सर्वोच्च डाककर्त्ता को डाक में 43000.00 (तेतालिस हजार) रूपये में दिये जाने से संबंधित पत्रांक 42/16, दिनांक 11.06.2016 की छाया प्रति।
5. निबंधित केवाला एवं सचिव, उच्च विद्यालय, कोटालपोखर के नाम से निर्गत लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किये हैं।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, बरहरवा के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जमाबंदी नं0 76 का कुल रकवा 21 बीघा 10 कट्ठा 12 धूर जमीन जमाबंदी रैयत सचिव, उच्च विद्यालय, कोटालपोखर के नाम से पंजी II में दर्ज है। आवेदकगण को पाँच बार नोटिश निर्गत किये जाने एवं निबंधित डाक द्वारा नोटिश भेजने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत इस वाद की कार्रवाई समाप्त (Drop) किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner